विविध बैंक प्रकरण सं0 36/2017(RCMS : 2017/00100) गृह फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय "गृह' नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक, टंडन लेबोरेट्री के पास, श्रीगंगानगर बनाम 1. विनोद शर्मा पुत्र श्री भैरूदान शर्मा, 2. श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री भैरूदान 3. श्री आलोक शर्मा, पुत्र श्री भैरूदान शर्मा, 4–ए–22 सदभावना नगर (ऋणी) 4. श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री राधा किशन शर्मा, गली नं 2, 5 ई छोटी, नाईवाला, जिला श्रीगंगानगर (गारंटर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.07.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गृह फाईनेन्स लिमिटेड की ओर से कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने दिनांक 11.07.2018 को स्वयं हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं जिसकी शिनाख्त श्री जितेन्द्र पराशर अधिवक्ता द्वारा की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली में शामिल किया गया। इस प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त कम्पनी की ऋण की वसूली हो चुकी है इसलिए प्रार्थी कम्पनी इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसलिए इसी स्तर पर खारिज कर दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी गृह फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा विनोद शर्मा, कमला देवी, आलोक शर्मा एवं राकेश शर्मा के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋण वसूली की सुरक्षा कीएवज में बधंक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान नं 4–ए–22, सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर (1225 वर्ग फीट) का भौतिक कब्जा दिलाये जाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी भूपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा लिखित में प्रार्थना की गई है कि उनकी ऋण राशि वसूल हो चुकी है, इसलिए वे अब इस प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

चूंकि प्रार्थी कम्पनी की ऋण राशि वसूल हो चुकी है और अब इस मामले में आगे वे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर